III/निग०/सतना/2017/3406

5

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर खण्ड पीठ रीवा म0प्र0 Rs-30/-

1. भैयालाल लोनी बल्द काशीदीन लोनी,
2. मुस0रज्जू बाई वेवा गिरधारी लोनी,
3. मथुरा लोनी पिता गिरधारी लोनी
4. बृन्दावन लोनी पिता गिरधारी लोनी,
5. रामनिहोर लोनी पिता गिरधारी लोनी

सभी निवासी ग्राम सोनाड़ी तहसील रामनगर जिला सतना म0प्र0 -------------- **निगराकारगण**

बनाम

श्रीमती संध्या सिंह पिता पद्युम्न सिंह पति अमर सिंह चौहान निवासी ग्राम न्यूदेवराजनगर तहसील रामनगर जिला सतना म0प्र0 ---------------------- **गैरनिगराकार**

निगरानी विरूद्ध कार्यालय रा0नि0 मण्डल रामनगर तहसील रामनगर जिला सतना म0प्र0 के रा0प्र0क0 6अ12/ 2016-17 में पारित आदेश दिनांक 20.05.2017

अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 ई0।

मान्यवर,

निगराकारगणों की तरफ से निम्नानुसार निगरानी प्रस्तुत है:--

नि०अ०
भैयालाल लोनी

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक तीन / निग / सतना / भूरा / 2017 / 3406

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
03/07/18	आवेदक अभिभाषक श्री विनोद कुमार वाजपेयी के प्रकरण की ग्राह्यता पर तर्क सुने गये। यह निगरानी राजस्व निरीक्षक मण्डल रामनगर तहसील रामनगर जिला सतना के सीमांकन आदेश दिनांक 20.05.17 प्रकरण क. 06 / अ12 / 16–17 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता सन् 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। आवेदक अभिभाषक द्वारा अपने तर्क में उन्हीं तथ्यो को दोहराया गया है जो उनके द्वारा निगरानी मेमो में उल्लेखित है। आवेदक अभिभाषक के तर्कों पर विचार किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की प्रति का अवलोकन किया गया। आदेश के अवलोकन से स्पश्ट है कि राजस्व निरीक्षक सीमांकन आवेदन पत्र प्राप्त होने पर स्वयं की उपस्थिति में विधिवत हल्का पटवारी के साथ मौके पर उपस्थित रहकर स्थल पंचनामा, फील्ड बुक, नक्शा ट्रेस आदि तैयार किया गया एवं सरहदी कास्तकारों को सूचना दी गई तथा उन्हें सीमा चिन्हों का ज्ञान कराया जाकर सीमांकन की पुष्टि की गई है। राजस्व निरीक्षक के उपरोक्त आदेश में किसी प्रकार की त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। उपरोक्त विवेचना के आधार पर आवेदक अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत निगरानी बलहीन होने से अग्राह्य की जाती है तथा अधीनस्थ राजस्व अधिकारी द्वारा पारित सीमांकन आदेश दिनांक 20.05.17 विधिवत होने से यथावत रखा जाता है। उभय पक्ष को सूचना दी जावे। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। सदस्य	